छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) 492002
ई–मेल– hocecb@gmail.com

क्र. 3600 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/8/2021

--:: कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों जैसे स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट आदि में बड़ी मात्रा में लगने वाले कच्चे माल यथा आयरन ओर, जिप्सम, कोयला, स्पंज आयरन, सीमेंट आदि का परिवहन सड़क मार्ग से ट्रकों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कच्चे माल/उत्पाद का परिवहन ढ़ंके हुये वाहनों से करने की शर्त उद्योग को प्रदत्त सम्मति में निहित की जाती है। प्रायः यह देखने में आता है कि उक्त सामग्रियों का परिवहन करते समय वाहनों को ओव्हर लोड कर उचित प्रकार से तारपोलिन आदि से ढ़ंका नहीं जाता है, जिसके कारण परिवहन के दौरान उक्त सामग्री मार्ग में वाहनों से गिरकर फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का प्रमुख कारण बनते हैं। कई स्थानों पर परिवहन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरने के कारण सड़क के दोनों ओर स्थित आवासीय क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी होती है। साथ ही परिवेशीय वायु गुणवत्ता में धूल कणों में वृद्धि का कारण बनती है।

2/ परिवहन हेतु मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों का उपयोग होने से ओव्हर लोडिंग एवं व्यवस्थित रूप से नहीं ढ़ंके जाने से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 40वीं बैठक दिनांक 24/05/2017 में यह निर्णय लिया गया था कि सभी उद्योगों को प्रदत्त सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन ढ़ंककर करने की शर्त के स्थान पर कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन एक वर्ष के भीतर मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की शर्त निहित की जावे।

3/ इस तारतम्य में ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्प.द के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन एक वर्ष के भीतर मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की शर्त निहित किये जाने हेतु आदेश क्रमांक 1060/मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर, दिनांक 12/06/2017 जारी किया गया था।

4/ फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की), छत्तीसगढ़ स्टेट कॉउंसिल द्वारा अपने पत्र दिनांक 17/10/2019 के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया था कि स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से कच्चे पदार्थों, अपशिष्ट इत्यादि के परिवहन की शर्त निहित रहती है। इसके पालन नहीं होने की दशा में सम्मति नवीनीकरण के पूर्व निर्धारित राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत किया जाना होता है। फिक्की द्वारा यह भी बताया गया था कि इस प्रकार के वाहन वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं है। उद्योगों द्वारा आवश्यकतानुसार तारपोलिन से ढंककर परिवहन किया जाता है। परिवहन का कार्य उद्योगों द्वारा आउटसोर्स किया जाता है। अतः परिवहन संघ तथा वाहन मालिकों के वाहनों के पंजीयन के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्त का समावेश किया जावे तथा इसको सम्मति में शामिल नहीं किया जावे। इसी प्रकार पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/10/2019 द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था।

5/ तत्समय बाजार में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों की अनुपलब्धता एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 47वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 में हुए निर्णय अनुसार ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की हेतु आगामी एक वर्ष का समय उद्योगों द्वारा कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन तारपोलिन अथवा उपयुक्त मटेरियल से उचित एवं पर्याप्त रूप से ढंककर किये जाने की शर्त के अधीन दिया गया था। उपरोक्त बाबत् कार्यालय आदेश कमांक 3260/तक./छ.ग.प.सं.मं./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2020 जारी किया गया था।

6/ उक्त आदेश के अनुक्रम में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) द्वारा अपने पत्र दिनांक 02/08/2021 के द्वारा मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों से परिवहन बाबत् निम्न समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है:-

i. Changes in present and passed truck registration condition will result in heavy penalties by RTO and specifications cannot be changed at ones own will.

ii. Mechanically covered trucks cannot be leakage proof as perforation from sides etc. will be there.

iii. In case of failure of mechanical device there will be emission enroute due to gaps and the same cannot be rectified everywhere by any mechanic.

iv. Truck owner are already facing loss of revenue due to covid-19 pandemic and new investment in modification, payable fees to RTO, etc. is neither possible nor feasible.

v. The overall carriage weight will increase, resulting in lesser tonnage carrying capacity due to height and weight restrictions which is not possible in the present poor economic and turn around in the county.

उक्त के आधार पर फिक्की द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों से परिवहन हेतु सम्मति / सम्मति नवीनीनकरण शर्त की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे।

7/ उपरोक्त तथ्यों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 49वीं बैठक दिनांक 12/08/2021 में विचार किया गया। मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बाजार में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो, अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों से परिवहन हेतु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्त की अनिवार्यता में इस बाबत् पूर्व में जारी आदेश की समाप्ति तिथि से 02 वर्ष की छूट दी जाये।

8/ अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 49वीं बैठक दिनांक 12/08/2021 में लिए गए निर्णय के परिपालन में ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो, अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों से परिवहन हेतु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्त की अनिवार्यता में इस बाबत् पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3260/तक./छ.ग.प.सं.मं./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2020 की समाप्ति तिथि अर्थात् दिनांक 13/07/2021 से 02 वर्ष की छूट निम्न शर्त के अधीन प्रदान की जाती है:–

> "उद्योगों द्वारा कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन तारपोलिन अथवा उपयुक्त मटेरियल से उचित एवं पर्याप्त रूप से ढंककर किया जावे।"

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2021

प्रतिलिपि :–

1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। निर्देशित है कि उक्त आदेश में मंडल की वेबसाईट में अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)